

सचिका सं०- ए०/नया०/बजट-03-1009/2016.....10

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/गया/बांका।

पटना-15, दिनांक-17 मार्च, 2017

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त रू० 50,00,000/- राशि में से बचे हुए अवशेष रू० 13,00,000/- के विरुद्ध रू० 12,00,000/- (बारह लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब० 15/बी०एस०जी०-279/2016-1211/वि० दिनांक-15.12.2016 के आलोक में एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रू० 50,00,000/- राशि में से बचे हुए अवशेष रू० 13,00,000/- के विरुद्ध रू० 12,00,000/- (बारह लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरूपेण किया जाता है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान (द्वितीय अनुपूरक सहित) (वर्ष 2016-17)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	20 01 आतिथ्य व्यय	1,00,00,000	जिला पदाधिकारी, पटना	55,00,000	3,00,000	58,00,000
2			जिला पदाधिकारी, नालन्दा	2,00,000	5,00,000	7,00,000
3			जिला पदाधिकारी, गया	0	2,00,000	2,00,000
4			जिला पदाधिकारी, बांका	0	2,00,000	2,00,000
कुल -		1,00,00,000 (एक करोड़) रू०		57,00,000 (सन्तावन लाख) रू०	12,00,000 (बारह लाख) रू०	69,00,000 (उनहत्तर लाख) रू०

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय विपत्र कोड - एन 2013001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।


4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है।

संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।


6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,


  
( ब्रजेश मेहरोत्रा ) 17/3/17

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1009/2016.....10..... पटना-15, दिनांक-17 मार्च, 2017  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना/नालन्दा/  
गया/बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव। 17/3/17

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1009/2016.....10..... पटना-15, दिनांक-17 मार्च, 2017  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव। 17/3/17

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1009/2016.....10..... पटना-15, दिनांक-17 मार्च, 2017  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
/लेखापाल, नयाचार प्रशाखा/आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल  
सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव। 17/3/17